

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी जिला जोधपुर
बईजलास यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र 57/2018

प्रार्थी
बबुराम पुत्र बाबुराम
नोहरराम पुत्र बाबुराम
धुराम पुत्र शकरराम जाति
माली निवासी सदावता
हसील फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण
1. तहसीलदार फलोदी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

1. सुमेरसिंह चौहान प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक :- 7/11/19

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि सरहद ग्राम सदावता में खसरा नं. 139 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं. 3 के खातेदारी की स्थिति है इसी खसरा में खसरा नं. 139/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण सं. 1 व पिता बाबुराम के नाम से दर्ज स्थिति है। बाबुराम का स्वर्गवास हो चुका है। खसरा नं. 139 नक्शा में अविभाजित है खसरा नं. 139 में प्रार्थी सं. 3 की ढाणी टांका है खसरा नं. 139/1 प्रार्थीगण सं. 01 से 02 की ढाणियां हैं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क A से B फलोदी कुण्डल डामर सड़क (भाखरिया रोड) दर्शित है गुजरती है उक्त सड़क से मार्क C से D अनुसार खसरा नं. 127 में से एक कदीमा रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 139,139/1 तक चलता है। खसरा नं. 127 की राजकीय भूमि में सरकारी स्कूल स्थित है जो C से D रास्ता के पास आया हुआ है प्रार्थीगण के बच्चों का स्कूल आने का तथा प्रार्थीगण के आवागमन का एक मात्र सुलभ व आत्यन्तिक रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित मार्क C से D अनुसार है जिसे रास्ता में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी संख्या 01 को जरीये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया।

अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया की सदावता में खसरा नं. 139 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी सं. 3 के खातेदारी की स्थिति है इसी खसरा में खसरा नं. 139/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण सं. 1 व 2 पिता बाबुराम के नाम से दर्ज स्थिति है। खसरा नं. 139 में प्रार्थी सं. 3 की ढाणी टांका है खसरा नं. 139/1 प्रार्थीगण सं. 01 से 02 की ढाणियां हैं प्रार्थना पत्र के साथ

54/11/19
अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क A से B फलोदी कुण्डल डामर सड़क (भाखरिया रोड़) दर्शित है गुजरती है उक्त सड़क से मार्क C से D अनुसार खसरा नं. 127 में से एक फलोदीमा रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 139, 139/1 तक चलता है। खसरा नं. 127 की राजकीय भूमि में सरकारी स्कूल स्थित है जो C से D रास्ता के पास आया है प्रार्थीगण के बच्चों का स्कूल आने का तथा प्रार्थीगण के आवागमन का एक सुलभ व आत्यन्तिक रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित मार्क C से D अनुसार है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी को उक्त रास्ता से जोड़ने हेतु अन्य कोई नजदीक में कल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। प्रार्थी को अपने जमाबंदी के खेत खसरा नम्बर 139 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नं. 139/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा की भूमि ग्राम सदावतां पटवार क्षेत्र बैगटी कलां तहसील फलोदी में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 127 रकबा 37.05 बीघा से प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नहीं है। जो नजरी नक्शा स्पष्ट है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी धिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपने खसरा नम्बर 139 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नं. 139/1 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा की भूमि ग्राम सदावतां पटवार क्षेत्र बैगटी कलां तहसील फलोदी तक पहुंचने के लिये खसरा नम्बर 127 रकबा 37.05 बीघा गै. मु. मगरा में से पटवारी हल्का बैगटी कलां द्वारा जारी नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 06.10.2015 के अनुसार 15 फीट चौड़ा व मार्क सी 1 डी तक लंबाई माप कर रास्ता के उपयोग में आ रही भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि तहसीलदार फलोदी प्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 को ज्ञात करवाये। प्रार्थीगण द्वारा डीएलसी की दुगुनी ज्ञात राशि तहसील कार्यालय फलोदी में जमा करवायी जाने के पश्चात प्रार्थीगण को प्रस्तुत नजरी नक्शा में मार्क सी से डी की दूरी समीप कर रास्ता प्रार्थी को दिलावे। पटवारी हल्का बैगटी कलां द्वारा जारी नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 06.10.2015 निर्णय का भाग रहेगा

निर्णय आज दिनांक 07.11.19.... को सरे इजलास सुनाया गया।

यशपाल अहिजा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उप खलोदी अधिकारी
फलोदी (जोधपुर)

